

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 154/25

GCMS NO 2025/240

1. भरोसी

2. बाबू पुत्रान स्व० बुद्धा जाति जाटव निवासी पिपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली

जमुनी पुत्री स्व० बुद्धा जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली

4. मीरा पत्नि स्व० वासुदेव जाति जाटव निवासी ग्राम पीपरानी तहसील मासलपुर जिला

करौली

5. संगीता पुत्री स्व० वासुदेव जाति जाटव निवासी ग्राम पीपरानी तहसील मासलपुर जिला

करौली

6. अवकेश आयु 15 साल

7. भीमसेन आयु 13 साल

8. बने सिंह आयु 9 साल पुत्रान स्व० वासुदेव नाबालिग जरिये वली कुदरती माता मीना स्त्री

स्व० वासुदेव जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली

9. बबीता पुत्र स्व० वासुदेव आयु 17 साल

10. विनाची पुत्री स्व० वासुदेव आयु 11 साल नाबालिग जरिये वली कुदरती माता मीरा स्त्री

स्व० वासुदेव जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. अजय पुत्र भीका

2. ममता पुत्री भीका

3. मीरा देवी पत्नि भीका

4. विजय पुत्र भीका जातियान जाटव निवासीयान पिपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली

5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली

रैसपो

अपील विरुद्ध मु० नं० 16/25 निर्णय दिनांक 31.7.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला० श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रैसपो श्री अबरार अहमद

दिनांक 27.04.2026


निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.7.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न० 771 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा अर्थात् 0.2909 है० ग्राम पिपरानी सायलान के पिता व पितामह बुद्धा पुत्र खचेरा जाति जाटव के खातेदारी व कब्जे काशत की रही है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सेटलमेंट वर्ष 2015 में बुद्धा पुत्र खचेरा के हक में रहा है। जो जमाबंदी सम्वत 2015 से स्पष्ट है। सायलान मृतक बुद्धा पुत्र खचेरा जाति जाटव ग्राम पिपरानी के पुत्रगण हैं एवं बुद्धा के पुत्र वासुदेव

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

के पुत्र पुत्री व पत्नि है। सायलान मृतक बुद्धा पुत्र खचेरा के वारिसान है। बुद्धा की पत्नि का पूर्व में ही स्वर्गावास हो चुका है। सायलान विधि अनुसार बुद्धा पुत्र खचेरा के एवं बुद्धा के पुत्र बासुदेव के उत्तराधिकारी है। सायलान के बुजुर्गान की आर्थिक स्थित ठीक थी वह कृषि कार्य एवं मकान निर्माण का कार्य करते थे। उनको कृषि भूमि को विक्रय करने की कोई जरूरत नहीं थी आज से 60 वर्ष पूर्व जमीन विक्रय करने की जरूरत नहीं रही है। बुद्धा पुत्र खचेरा खसरा न0 771,797, 761,464,774 की भूमि का 5 बीघा 13 विस्वा एवं अन्य भूमि को अपने जीवनकाल में काशत करते रहे है। और खसरा न0 771 की भूमि को बुद्धा के जीवन काल से ही उनके साथ काशत करते रहे है। आज भी खसरा न0 797 व 771 की भूमि को काशत कर रहे है गैरसायलान का कब्जा काशत नहीं है एवं खसरा न0 771 की भूमि गैरसायलान के पितामह भौरू एवं पिता भीका के कभी कब्जा काशत में नहीं रही है। नामा0 संख्या 34 स्वीकृत दिनांक 10.9.63 पूर्णतया विधि विरुद्ध है। मानमाना है कूटरचित एवं फर्जी है। यह नामा0 हक हकूक सायलान खातेदारी अधिकार व प्रभावहीन एवं शून्य है। अवैध है। ऐसे नामा0 से भौरू पुत्र खचेरा को कोई खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त (सृजित) नहीं हुए है और सायलान के पिता सायलान के खातेदारी अधिकार विधि अनुसार समाप्त नहीं हुए है। भूमि विक्रय किये जाने बाबत कोई विक्रय पत्र नहीं हुआ है ऐसा कोई विक्रय पत्र होना नामा0 संख्या 34 के विवरण अंकित नहीं किया गया है। कोई दान पत्र या वसीयत पत्र होना भी नामा0 संख्या 34 में दर्ज नहीं किया है। कीमत 45/-रूपये बुद्धा को भौरू ने अदा किये हो ऐसा भी कोई दस्तावेज लिखित नहीं है। नामा0 में कीमत 45/-रूपये देना चाहता है दर्ज किया है स्पष्ट है कि प्रतिफल धनराशि भुगतान नहीं होना स्पष्ट है। कोई लिखापढी भूमि बेचान नहीं है यह स्पष्ट हुआ है जब सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत अचल सम्पति का बेचान या दान तहरीर तकमील ही नहीं हुआ है तब कार्यवाही नामा0 संख्या 34 पूर्णतया विधि विरुद्ध है मनमाना है अवैध है। गैरसायलान के हक में पिता गैरसायलान के हक में हुए नामा0 इन्द्राज एवं जमाबंदी में दर्ज हुए खातेदारी इन्द्राज वहक गैरसायलान हक हकूक खातेदारी अधिकार बुद्धा पुत्र खचेरा एवं हम सायलान के खातेदारी अधिकारों पर प्रभावहीन व शून्य है। वरजामंदी भूमि बेचान नहीं होता है ना ही सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कृषि भूमि अचल सम्पति है जिसका हस्तान्तरण सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होता है। नामा0 से अचल सम्पति में अधिकार तय नहीं होते है। सम्पति हस्तान्तरण में वास्तविक तौर पर प्रतिफल भुगतान किया जाना होता है। इस नामा0 से ही स्पष्ट है कि प्रतिफल धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है। और प्रतिफल भुगतान नहीं होने पर सव्यवहार शून्य होता है। विक्रय पत्र में प्रतिफल भुगतान जरूरी है। कब्जे का वास्तविक हस्तान्तरण होना होता है जो नहीं हुआ है कब्जा बुद्धा के जीवनकाल तक बुद्धा का इस भूमि पर रहा है और उनकी मृत्यु के बाद से सायलान का उक्त भूमि खसरा न0 771 पर कब्जा काशत है। सायलान ही भूमि को काशत कर रहे है। बेचान करार से भी खातेदारी अधिकार कृषि भूमि में सृजित नहीं होते है बुद्धा द्वारा भौरू को विधि अनुसार भूमि बेचान नहीं किया है। सायलान अपने हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। नामा0 पर बुद्धा के हस्ताक्षर नहीं है बुद्धा की ओर से भूमि का बेचान किया गया है बुद्धा की नामा0 के समय कोई उपस्थिति नहीं बताई गई है। इसलिए नामा0 34 फर्जी कूटरचित है। जो हक हकूक सायलान के खातेदारी


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिकारो पर प्रभावहीन है। गैरसायलान द्वारा सायलान की फसल गैहू में व्यवधान पैदा करने पर आमादा है। गैरसायलान द्वारा अवैध खातेदारी इन्द्राजात की आड में भूमि को भूमाफियाओं को बेचान करने पर आमादा है जिससे हम सायलान के हक हकूको पर भारी आघात है। इसलिए न्यायद्वित में गैरसायलान को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह सायलान के भूमि के कब्जे काशत में व्यवधान पैदा नहीं करे भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायलान द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतया आरवेटरी व मनमाना होने से निरस्त योग्य है। आराजी खसरा न० 771 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा ग्राम पिपरानी तहसील मासलपुर अपीलांट/सायलान के पिता व पितामह बुद्धा पुत्र खचेरा जाति जाटव के खातेदारी व कब्जे काशत की रही है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2015 में बुद्धा पुत्र खचेरा के हक में रहा है। अपीलांट मृतक बुद्धा के वारिसान है। इस स्थिति को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर विधि विरुद्ध रूप से निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के पिता व पितामह की आर्थिक स्थिति ठीक थी उनको जमीन को बेचान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वादग्रस्त भूमि खसरा न० 771 तथा 797,761,764,774 की भूमि को अपने जीवनकाल तक काशत करते रहे हैं। अपीलांट काशत करते हुए बुद्धा के जीवनकाल से चले आ रहे हैं खसरा न० 797 व 771 की भूमि को व अन्य भूमि को अपीलांट काशत करते चले आ रहे हैं। खसरा न० 771 की भूमि पर रेस्पों न० 1 ता 4 का कोई कब्जा काशत नहीं है। इस भूमि पर रेस्पों के पिता व पति भीका का भी कोई कब्जा काशत नहीं रहा है। नामा० संख्या 34 दिनांक 10.9.63 पूर्णतया विधि विरुद्ध है सूटरचित, मनमाना एवं फर्जी है। यह नामा० हक हकूक अपीलांट खातेदारी अधिकार प्रभावहीन है एवं शून्य है ऐसे नामा० से भीका को कोई खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त नहीं हुए हैं और बुद्धा के खातेदारी अधिकार विधि अनुसार विधि अनुसार समाप्त नहीं हुए हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने भूमि रेस्पों संख्या 1 ता 4 के खातेदारी की मानते हुए विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। भूमि विक्रय किये जाने बाबत कोई विक्रय पत्र पंजीयन नहीं हुआ है। ऐसा कोई विक्रय पत्र होना नामा० संख्या 34 के विवरण में अंकित नहीं किया है कोई दानपत्र या वसीयत पत्र होना भी नामा० में दर्ज नहीं किया है। कीमत 45/-रूपये बुद्धा को भौरू ने अदा किये हो ऐसा कोई भी दस्तावेज लिखित नहीं है ना ही नामा० में रूपये बुद्धा को भौरू ने अदा किये हो दर्ज नहीं है। नामा० में कीमत 45/-रूपये देना चाहता है दर्ज किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिफल धनराशि भुगतान नहीं हुआ है। कोई लिखा पढी भूमि बेचान की नहीं है। जब सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत अचल सम्पति का बेचान या

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


पत्र तहरीर तकमिल नहीं हुआ है तब कार्यवाही नामा 0 पूर्णतया विधि विरुद्ध है। और सायलान के व पिता सायलान के खातेदारी अधिकार प्रारंभ से ही शून्य प्रभावहीन है। फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करके एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्त/सायलान खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपील निर्णय निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र में अपीलान्त/सायलान द्वारा दर्ज किये गये समस्त दावों में उभयपक्ष को साक्ष्य के बाद अंतिम निर्णय पर तय किये जाने हैं और दावों के निर्णय के लिए अपील वादग्रस्त आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति विधि अनुसार रक्षा जाना प्रयोजित है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय वादग्रस्त आराजी खसरा न० 771 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा अर्थात् 0.2909 है० ग्राम पिपरानी हसील मासलपुर के अपीलान्त/सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करे व भूमि को हस्तान्तरण नहीं करे।

रेस्पों के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि आराजी खसरा न० 771 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा वक्त सेटलमेंट वर्ष 2015 सम्वत में बुद्ध पुत्र खचेरा के हक में रही है बुद्ध पुत्र खचेरा द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए उक्त आराजी को करीब 62 वर्ष पूर्व भौरु पुत्र खचेरा गैरसायलान के पितामह को विक्रय कर दिया व कब्जा मौके पर उक्त आराजी पर करवा दिया। जिसका नामा 0 पटवारी हल्का द्वारा समस्त जानकारी के उपरान्त दिनांक 7.7.63 को भरा जाकर दिनांक 10.9.63 को सरपंच को पेश किया गया जो दिनांक 10.9.63 को गैरसायलान के पितामह भौरु पुत्र खचेरा चमार के नाम खोला जाकर तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रमल किया गया। भौरु की मृत्यु के बाद भौरु पुत्र भीका की भी मृत्यु होने पर गैरसायलान 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। गैरसायलान अपने पितामह के समय से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जो आज भी काबिज काश्त है। अपीलान्त द्वारा मृतक बुद्ध पुत्र खचेरा के पुत्र पुत्री होने व ग्राम पीपरानी में निवास करने से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपीलान्त द्वारा न्यायालय को गुमराह करने की नियत से सभी का पता पिपरानी गलत अंकित किया है। अपीलान्त/सायलान को उक्त भूमि के संबंध में दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्त/सायलान मृतक बुद्ध पुत्र खचेरा के वारिसान नहीं है उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है ना ही अपीलान्त/सायलान बुद्ध पुत्र खचेरा के उत्तराधिकारी हो ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपीलान्त/सायलान द्वारा बुद्ध पुत्र खचेरा की आर्थिक स्थिति के बारे में मनगढ़न्त कहानी बनाई है। अपीलान्त/सायलान द्वारा बुद्ध पुत्र खचेरा को कभी काश्त करते ही नहीं देखा है। सत्यता यह है कि विवादित भूमि रेस्पों/गैरसायलान 1 लगायत 4 के पितामह को बुद्ध पुत्र खचेरा ने आज से करीब 62 वर्ष पूर्व ही विक्रय कर दिया था। जिसका विधिवत रूप से नामा 0 भरा जाकर भौरु पुत्र खचेरा के के नाम तस्दीक हुआ है। तब से भौरु पुत्र खचेरा उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त रहा है एवं भौरु पुत्र भीका की मृत्यु के बाद से रेस्पों/गैरसायलान 1 ता 4 उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आराजीयात पर काबिज काशत है। अपीलांट/सायलान द्वारा नामा० को बिना देखे गलत इन्टरपिटेशन अपने फायदे के अनुसार अपने पक्ष में किया है सत्यता यह है कि जब नामा० संख्या 34 को देखने से पता चलता है कि हल्का पटवारी ग्राम पंचायत खूडा देवरी पिपरानी के द्वारा भरे गये नामा० संख्या 34 गत जमाबंदी के खाते की संख्या ग्राम पिपरानी भूमि अधिकारी खालसा कृषक का नाम बुद्धा पुत्र खचेरा कोम चमार साकिन दह मु०क० भूमि का विवरण खसरा न० 771 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा नवीन खाता खरीददार कृषक का नाम भौरू पुत्र खचेरा परिवर्तन की किश्त पटवारी द्वारा रजामंदी बाबत पूछा जाता है तो विक्रेता ने रजामंदी से 45 रूपया में बेचना कीमत बताया इसके बाद पटवारी द्वारा तीन लाईनो में नोट लगाया गया जिसमें विक्रय दस्तावेज की तुलना जमाबंदी व खाता से की जाती है जिस नोट के अनुसार जमाबंदी के खाता संख्या व खसरा न० से तुलना की गई व अंकनो अनुसार सही है। दिनांक 7.7.63 लिखा है। इसके बाद नामा० सरपंच ग्राम पंचायत खूडा मुकाम देवरी के समक्ष पेश किया गया जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.9.63 को बुद्धा पुत्र खचेरा खातेदार से पूछने पर उसने अपनी आराजी को भौरू पुत्र खचेरा चमार कीमत 45 रूपये में अपनी से राजी से बेचना बताया है। जिस पर दोनों पक्षों को सुनने पर नामा० सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है। तथा पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु व शुल्क नियमानुसार वसूलने के आदेश दिये गये हैं। जिस पर मौके पर ही राजस्व रिकार्ड में व कागजात में अमल किया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा हस्ताक्षर किये गये जब नामा० भौरू पुत्र खचेरा के नाम तस्दीक हुआ। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि नामा० में बेचान बाबत कोई अंकन नहीं है जबकि नामा० में बेचान बाबत किसी प्रकार का अंकन नहीं होता है। अपीलांट/सायलान का उक्त आराजी पर कब्जा कभी भी नहीं रहा है। अपीलांट/सायलान द्वारा भूमि पर बाजरे की फसल काशत करने की बात गलत दर्ज की गई थी। वादग्रस्त भूमि के गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार है किसी रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट/सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता व सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक आदेश है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट/सायलान द्वारा झूठे एवं मनगढन्त आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।


उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न० 771 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा अर्थात् 0.2909 है० ग्राम पिपरानी सायलान के पिता व पितामह बुद्धा पुत्र खचेरा जाति जाटव के खातेदारी व कब्जे काशत की रही है। इस कथन को उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। परन्तु रेस्प० अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट/सायलान का बुद्धा पुत्र खचेरा से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नहीं रहा है। बुद्धा पुत्र खचेरा उनका कोई पूर्वज नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य को साबित करने के संबंध में केवल मात्र सजरा बताया है जबकि सजरे को रेस्प० अधिवक्ता द्वारा गलत एवं मनगढन्त


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बताया गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे बुद्धा पुत्र खचेरा उनका पूर्वज सिद्ध हो सके। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन साबित नहीं होता है। जहाँ तक नामा० संख्या 34 का प्रश्न है तो इस संबंध में यह तथ्य स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें नामा० के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख या वर्जन किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में केवल प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं प्राईमाफेसी के सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2072-2075 में गैरसायलान/रेस्पों के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस अपीलांट/सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता का कहना रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट/सायलान का कब्जा काश्त है। परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे भूमि वादग्रस्त पर कब्जा सिद्ध हो सके। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध लगान की रसीदों से स्पष्ट है कि भूमि पर कब्जा सुन्दर पुत्र खचेरा का होने से उनके द्वारा लगान जमा कराया जाता रहा है। इस प्रकार जब भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त ही नहीं है तो उनको किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं होती है। प्राईमाफेसी केस व अपूर्णनीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने से साबित है कि अपीलांट के पक्ष में सुविधा का संतुलन भी सिद्ध नहीं होता है। चूंकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान/रेस्पों संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। किसी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुसार ही खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के मु०न० 16/25 निर्णय दिनांक 31.07.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर